

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L00-09/14**

श्री मनोज मोदी (एच०य०एफ०),  
प्लाट नं० ८, मालवीय नगर,  
भोपाल (म.प्र.) – 462 003

— आवेदक

**विरुद्ध**

प्रबंध निदेशक,  
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

— अनावेदक

**आदेश**

**(दिनांक 01.07.2014 को पारित)**

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक T-23 श्री मनोज मोदी विरुद्ध उप महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 के विरुद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने एक ही परिसर में दो विद्युत कनेक्शन दो दुकानों के लिए लिए हैं, परन्तु सर्विस क्रमांक 324345-90-10-472440 के संबंध में उसे 1,24,728/- रु. का जो संशोधित देयक दिया गया है वह अवैध है, क्योंकि संशोधित देयक दिए जाने के पूर्व वह उक्त सर्विस कनेक्शन का प्रतिमाह का देयक नियमित रूप से जमा करता आ रहा है, अतः देयक जारी करने में की गई त्रुटि के लिए उसे उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता है।
3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया है कि एक ही परिसर में उपभोक्ता के दो मीटर स्थापित होने के कारण एक ही मीटर रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता को दोनों सर्विस कनेक्शन के लिए देयक जारी किए जाते रहे, जबकि दोनों सर्विस कनेक्शनों के लिए स्थापित दो पृथक-पृथक मीटरों में दर्ज खपत के आधार पर देयक जारी किया जाना चाहिए था। इस गलती की जानकारी होने पर उपभोक्ता को संशोधित देयक जारी किया गया है जो ऊर्जा की खपत के आधार पर है और जिसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है।

4. उपभोक्ता की उक्त शिकायत के संबंध में फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के सर्विस क्रमांक 90-10-472440 के संबंध में माह फरवरी 12 से अप्रैल 13 तक जारी देयकों में मीटर क्रमांक 25648 दर्शाया गया है। इसी प्रकार सर्विस क्रमांक 45-22-657529 के संबंध में माह अप्रैल 12 से मई 13 तक देयकों में मीटर क्रमांक 25648 दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मीटर बदलते समय यह चूक हुई है, अतः उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर उसे जारी देयक निरस्त नहीं किया जा सकता है।
5. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता ने अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने यह पाया है कि एक वर्ष तक मीटर रीडिंग सही तरीके से न लेने के कारण उपभोक्ता को विवादित देयक जारी किया गया है, परन्तु ऐसा पाए जाने पर भी विवादित बिल को निरस्त नहीं किया गया। फोरम द्वारा तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष दिया गया है, अतः फोरम का आदेश अपास्त किया जाकर उपभोक्ता को जारी देयक निरस्त किए जाने योग्य है।
6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :-** क्या दिनांक 12.05.2013 को उपभोक्ता को जारी 1,24,728/- रु. का देयक अपास्त किए जाने योग्य है ?।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :-

7. फोरम ने यह पाया है कि उपभोक्ता के दो विद्युत कनेक्शन हैं जिनमें से एक विद्युत कनेक्शन का सर्विस क्रमांक 90-10-472440 है। फरवरी 12 से अप्रैल 13 तक उक्त सर्विस क्रमांक के लिए जो देयक जारी किए जाते थे उनमें मीटर क्रमांक 25648 दर्शित किया गया था। इसी तरह उपभोक्ता के दूसरे सर्विस क्रमांक 45-22-657529 के संबंध में अप्रैल 12 से मई 13 तक जो देयक जारी किए गए थे उसमें भी मीटर क्रमांक 25648 दर्शाया गया था और इसी कारण प्रश्नगत त्रुटि हुई थी।
8. फोरम द्वारा की गई उक्त समीक्षा तथ्यों के विपरीत है, इसका कोई उदाहरण उपभोक्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है। फोरम के अभिलेख का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उक्त निष्कर्ष अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रत्येक माह दिए जाने वाले देयकों पर अंकित सर्विस क्रमांक और मीटर क्रमांक के आधार पर दिया है। यह अपेक्षा नहीं की जाती कि कोई भी उपभोक्ता देयक में वर्णित राशि जमा करते समय मीटर का क्रमांक नहीं देखेगा। उपभोक्ता को दो संयोजनों के लिए दो पृथक-पृथक देयक प्राप्त होते थे और ऐसे देयकों में मीटर का एक ही नम्बर अर्थात् क्रमांक अंकित किया जाता था। उपभोक्ता के लिए यह संभव था कि वह इस गलती को उसी

समय पकड़ लेते तथा ऐसी त्रुटि के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों का ध्यान दिलाते, परन्तु उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह एक ही मीटर के लिए जारी दो पृथक देयकों का भुगतान किया जाता था तथा ऐसे भुगतान के संबंध में उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती थी। अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी जिसके कार्य का संचालन उसके कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, के द्वारा त्रुटि की जानकारी प्राप्त होने पर उपभोक्ता को मीटर में दर्ज खपत के आधार पर संशोधित देयक जारी किया गया है। मीटर में दर्ज ऊर्जा की खपत सही नहीं है, इस बात को कोई चुनौती उपभोक्ता की ओर से नहीं दी गई है। अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा ऐसी त्रुटि किए जाना संभावित है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से पालन न किए जाने के कारण ऐसी गलती हो सकती है और ऐसी गलतियां तत्काल पकड़ में नहीं आती है, लेकिन एक उपभोक्ता जो कि हर माह विद्युत ऊर्जा के प्रभार को अदा करता है, से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह ऐसी गलती को तत्काल पकड़ लेगा और गलती करने वाले का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा, परन्तु उपभोक्ता द्वारा ऐसा किया जाना नहीं पाया जाता है।

9. उपभोक्ता को दो सर्विस के लिए एक ही मीटर में दर्ज खपत के आधार पर देयक जारी किए गए थे, अतः वास्तविक मीटर में दर्ज खपत के आधार पर जो संशोधित देयक जारी किया गया है वह विधिसंगत प्रतीत होता है। ऐसे देयक एक वर्ष की अवधि के अन्दर जारी किए गए हैं, अतः परिसीमा बाधित भी नहीं है। अतः प्रश्नगत देयक में वर्णित राशि को उपभोक्ता अदा करने के लिए उत्तरदाई होना साबित होता है।

10. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित।
3. फोरम की ओर प्रेषित।

विद्युत लोकपाल

